कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-935 ऊरई-अलीगढ़ लाइन(1.6677हे0)/31506/2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 01, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : 765के0वी0 डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन(पार्ट-4) के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/04/22/2018/एफसी/198, दि0 23.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-1445/14-10, दिनांक 22.10.2018 द्वारा बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव CD सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के उक्त पत्र दिनांक 22.10.2018 संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ।
2- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़ एवं हाथरस देहात।
4- उप महाप्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो0 आफ इंडिया लि0, अलीगढ़।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।